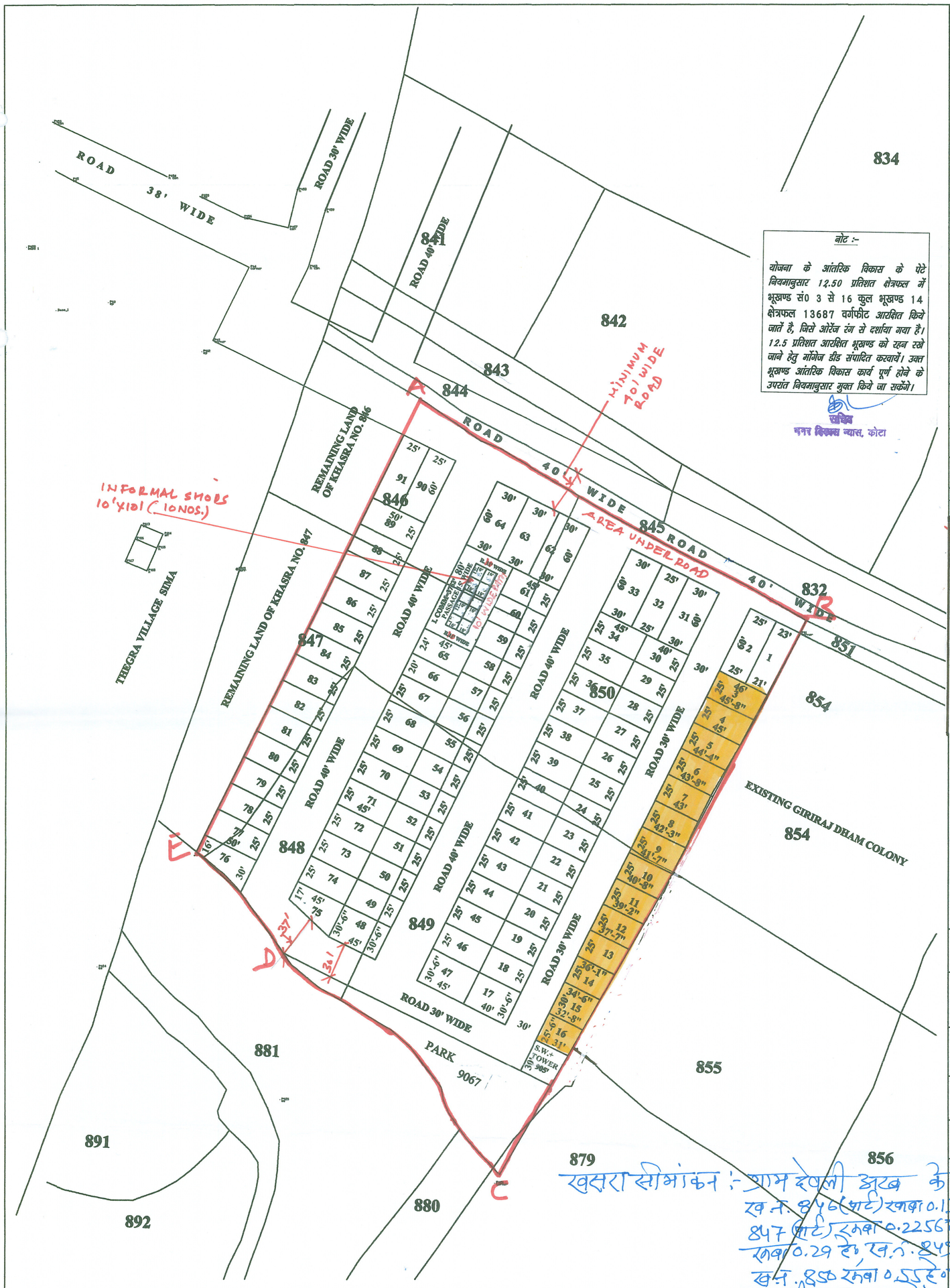

नोट :-

योजना के आंतरिक विकास के पेटे नियमानुसार 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल में भूखण्ड सं0 3 से 16 कुल भूखण्ड 14 क्षेत्रफल 13687 वर्गफीट आरक्षित किये जाते है, जिसे ओरेंज रंग से दर्शाया गया है। 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्ड को रहन रखे जाने हेतु मॉर्गेज डीड संपादित करवायें। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार मुक्त किये जा सकेंगे।

सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

AADITYA PRIME

PROPOSED LAYOUT PLAN OF RESIDENTIAL COLONY SITUATED AT LINK ROAD DEVLI-ARAB ROAD TO THEGRA ROAD, BEHIND VINAYAK RESORT, KH. NO. 846 (A PART), 847 (A PART), 848, 849, 850. VILLAGE :-DEVLIARAB, TEH.:- LADPURA,DIST.:- KOTA(RAJ.)

N

DETALS OF KHASRA NO.

S. NO.	KH. NO.	AREA IN HECT.	AREA IN SQMT.	AREA IN SQFT.
1.	846(A PART)	0.1790	1790.515	19,272.94
2.	847(A PART)	0.2256	2256.70	24291.00
3.	848	0.29	2900.00	31215.34
4.	849	0.44	4400.00	47361.21
5.	850	0.55	5500.00	59201.51
TOTAL AREA		1.6846	16847.2	1,81,342.00

SCHEME AREA IN SQFT.= 1,81,342.0 SQFT

LAND ANALYSIS

1. NAME OF APPLICANT:-
MR. MAHAVEER PRASAD SHARMA
S/O LATE. SHREE KANHAIYA LAL SHARMA
SIGN. OF APPLICANT:-

SIGN. OF APPLICANT:-
2. NAME OF APPLICANT:-
MRS. SHSHIKALA SHARMA
W/O SHREE MAHAVEER PRASAD SHARMA.

DATE	SCALE:- 1"=60'
PATWARI	I. L.R.
TEHSILDAR	
D.T.P.	S.T.P.
SECRETARY	

EMINENT ENGINEERS KOTA

FOR OFFICE USE ONLY

ले-आउट प्लान (आवासीय प्रयोजनार्थ) खसरा नं0 846, 847, 848, 849, 850 ग्राम देवली अरब क्षेत्रफल 16846 वर्गमीटर (Mark–A to E)

ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 02/05/2024 में लिये गए निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है -

RESIDENTIAL	I.COMM.	PARK
105178.36 वर्गफीट 58.0 प्रतिशत	3626.84 वर्गफीट 2.00 प्रतिशत	9067.10 वर्गफीट 5.00 प्रतिशत
SW+TOWER 905.00 वर्गफीट 0.50 प्रतिशत	ROAD 62564.70 वर्गफीट 34.50 प्रतिशत	TOTAL 181342 वर्गफीट 100 प्रतिशत

(1) पहुंच सड़क का मार्गाधिकार न्यूनतम 40' रखा जावे। उक्त पहुंचमार्ग के अनतर्गत आ रही आवेदित भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित/छोड़ी जानी होगी।
(2) टाउनशिप पॉलिसी-2010 एवम समय-समय पर जारी संशोधनों की पालना सुनिश्चित् की जावे।
(3) योजना में न्यूनतम 5 प्रतिशत पार्क एवं पीयू रखा जावे।
(4) आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत् टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार तकमीने प्रस्तुत करने होंगे एवं तकमीनों का न्यास की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरांत तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।
(5) नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.3(77) नविवि/3/2009 पार्ट IV जयपुर दिनांक 4/4/19 की पालना अपेक्षित है।
(6) नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 10/08/2020 के अनुसार प्रावधान रखे जाने होंगे।
(7) नगरीय विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेशों/ दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/संशोधनों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
(8) उक्त ले-आउट का RERA में पंजीयन करवाया जावे।

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

खसरा सीमांकन :- ग्राम देवली अरब के प्रस्तावित ख.नं. 846(पार्ट) रकबा 0.1790 है, ख.नं. 847 (पार्ट) रकबा 0.2256 है, ख.नं. 848 रकबा 0.29 है, ख.नं. 849 रकबा 0.44 है, ख.नं. 850 रकबा 0.55 है. की बाह्य सीमाओं का सीमांकन न्यास में उपलब्ध राजस्व नक्शे द्वारा A to E से किया गया है।

14/03/24

23/04/24

14/5/2024
ZLR